

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001

कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001 द्वारा कार्यालय की सुसज्जा हेतु बिक्री कर/वाणिज्य कर/आयकर निबंधित कोटेशनदाता से निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत अधोलिखित सामग्रियों की दर निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :-

सामग्री का नाम	अदद	अवधि
हरे पौधों एवं फूल सहित गमलें (Indoor)	100	1 वर्ष के लिए

शर्तें :-

- (1) कोटेशनदाता/व्यक्ति को इस प्रकार के कार्यों यथा कार्यालय सुसज्जा हेतु उपर्युक्त सामग्री आपूर्ति करने का अनुभव या उनके द्वारा उपर्युक्त सामग्रियों की व्यापक उपलब्धता का होना आवश्यक होगा एवं एतद संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (2) (i) आपूर्ति किए गए गमले की रख-रखाव यथा गमले की प्रतिदिन निकाई, सिंचाई, साफ-सफाई गमले में लगे पौधों की स्थिति का पर्यवेक्षण एवं समय-समय पर खराब हो रहे पौधों को यथा निदेशित बदलना कोटेशनदाता के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किया जाना आवश्यक होगा।
(ii) पौधों को पन्द्रह-पन्द्रह दिनों पर बदलने की जिम्मेवारी कोटेशनदाता की होगी।
(iii) पौधों की उँचाई कम-से-कम 02 (दो) फीट की होनी चाहिए।
(iv) सभी गमले नये एवं उचित रूप से रंगे होने चाहिए तथा हर गमले के नीचे एक प्लास्टिक का प्लेट रखना होगा।
- (3) कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि- 22.9.2015 (समय 5:00 बजे अपराह्न तक) है। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद कोई कोटेशन स्वीकार नहीं की जायगी।
- (4) सभी कोटेशन- 23.9.2015 को प्राधिकरण के कार्यालय में 3:00 बजे अपराह्न में कय समिति के समक्ष खोली जायगी। इसमें आपूर्ति कर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।
- (5) कोटेशनदाता को आदेश के पाँच दिनों के भीतर अथवा आदेशित तिथि को सामग्रियों की आपूर्ति कर देनी होगी। पंत भवन स्थित प्राधिकरण कार्यालय में सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् अपना विपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) कोटेशन आंशिक या पूर्णरूपेण बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
- (7) आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

अ. वि. व.
अवर सचिव